



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 20, गुरुवार, शाके 1934-मई 10, 2012

Vaisakha 20, Thursday, Saka 1934-May 10, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, मई 09, 2012

**संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:-** राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं व उनको प्रदान करने की नियत समय सीमा, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 76 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 76ए, 76बी, 76सी, 76डी तथा 76ई एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

76ए	कब्जा पत्र	15 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक	1.सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-
76बी	लीज डीड जारी करना	30 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात्)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक	1.सचिव-जविप्रा/जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-

	76सी	विक्रय अनुमति	21 दिवस (लीज डीड की शर्तों की पूर्ण पालना होने पर एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक/ लेखाकर्मी	1.सचिव-जविप्रा/ जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-
	76डी	ले-आउट अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से संबंधित)	30 दिवस (टाउनशिप पॉलीस के तहत न्यूनतम विकास कार्य एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने पर कैम्प आयोजित किये जायेगे)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक/ लेखाकर्मी	1.सचिव-जविप्रा/ जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-
	76ई	कच्ची बस्ती नियमन उपरान्त पट्टे जारी करना	20 दिवस (सम्पूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात्)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक/ लेखाकर्मी	1.सचिव-जविप्रा/ जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-
	76एफ	अनापत्ति प्रमाण पत्र	21 दिवस (अनापत्ति) प्रमाण पत्र बाबत देय राशि जमा कराने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त)	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन उपायुक्त 2.नगर सुधार न्यास-संबंधित प्रभारी अधिकारी	1.जविप्रा/जोविप्रा संबंधित जोन तहसीलदार अधिशाषी अभियंता, डी.टी.पी. /ए.टी.पी. 2.नगर सुधार न्यास संबंधित तहसीलदार सहायक अभियंता एवं संबंधित लिपिक/ लेखाकर्मी	1.सचिव-जविप्रा/ जोविप्रा 2.सचिव, नगर सुधार न्यास	1.आयुक्त-जविप्रा/जोविप्रा 2.अध्यक्ष नगर सुधार	-

(i) सारणी के अन्त में कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 व उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम 16 व उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात् :-

16	अल्प संख्यक मामलात विभाग	109	अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र	आवेदन प्राप्ति से 3 दिवस	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	जिला प्रोग्राम अधिकारी	जिला कलक्टर	निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग	-
		110	नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एज्युकेशनल इन्स्टीटयुशन्स एक्ट, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई तिथि से 30 दिवस	सहायक निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सहायक शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	शासन उप सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन  
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

- नोट:- (1) कॉलम संख्या 1 के क्रम में संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 की विद्यमान क्रम संख्या 76 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नई क्रम संख्या 76ए, 76बी, 76सी, 76डी तथा 76ई एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी गई।
- (2) सारणी के अन्त में कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 व उसके संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम 16 व उसकी प्रविष्टियां जोड़ी गई।